

## प्रकरण संख्या 87/2015 नाथूलाल बनाम उमाांकर व अन्य

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.08. 2019	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेनार में वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 18 रकबा 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 08.06.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 1/4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.12.2015 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजमल मेनारिया उपस्थित हुए तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। भोश रेस्पोंडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।</p> <p>अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन संपथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने</p>	

प्रकरण संख्या 87/2015 नाथूलाल बनाम उमाांकर व अन्य

अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली की अपीलान्ट को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी गयी तथा पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। वादी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में सहमति की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 6 पेजियों पर न्यायालय की छाप लगी होकर प्रकरण में आगे पेजियां पड़ती रही एवं पत्रावली दिनांक 27.07.2015 के लिए नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर पत्रावली दिनांक 08.06.2015 को कैम्प के रखी जाकर वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण

प्रकरण संख्या 87/2015 नाथूलाल बनाम उमाशंकर व अन्य

प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।  
अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय  
आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

अधिकारी

(प्रियंका जोधावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील

उदयपुर

प्रकरण संख्या 87/2015 नाथूलाल बनाम उमाकिंकर व अन्य

--	--	--